# बिहार सरकार
## उद्योग विभाग

## संकल्प

**विषय :– राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों के साथ–साथ अति पिछड़ा वर्ग के युवा–युवतियों को भी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 में संशोधन एवं अति पिछड़ा वर्ग हेतु रु0 102.50 करोड़ की योजना की स्वीकृति।**

विभागीय संकल्प संख्या–782 दिनांक–17.05.2018 द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूची पैदा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लागू है। राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण उनका उन्नयन इस वर्ग के युवा एवं युवतियों को बिना उद्यमी बनाये संभव नहीं हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

उक्त के आलोक में अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूची पैदा करने के उद्देश्य से इस योजना का लाभ अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को देने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :–

1. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 के **विषय** में प्रयुक्त शब्दों "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति" को शब्दों "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 के **प्रथम पैरा के अंतिम वाक्य** के पूर्व निम्न वाक्य जोड़ा जाता है :–

"राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण इनका उन्नयन इस वर्ग के युवा एवं युवतियों को बिना उद्यमी बनाये संभव नहीं हो सकता है। अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में उद्यमी बनने से राज्य के औद्योगीकरण की दिशा में बल मिलेगा तथा राज्य के समावेशी (Equitable) आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि होगी।"

3. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 की **कंडिका–1. परिचय** में प्रयुक्त शब्दों "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति" को "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 की **कंडिका–2(II) एवं 2(V)** को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

| कंडिका संख्या | संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 में वर्त्तमान प्रावधान | संशोधन के बाद का प्रावधान | संशोधन का औचित्य |
|---|---|---|---|
| 2(II) | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत हो। | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत हो। | अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2(V) | इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा Pvt. Ltd. Company के तहत निबंधित हो। | इकाई प्रोपराईटरशीप, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा Pvt. Ltd. Company हो। | प्रोपराईटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जाता है। |

5. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 की **कंडिका–3(X)** के उपरान्त नई कंडिका–3(XI) एवं 3(XII) निम्न प्रकार जोड़ी जाती है :–

"3(XI) प्रधान सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग के प्रतिनिधि – सदस्य

"3(XII) प्रधान सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रतिनिधि – सदस्य"

6. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 की **कंडिका–7** को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

| कंडिका संख्या | संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 में वर्त्तमान प्रावधान | संशोधन के बाद का प्रावधान | संशोधन का औचित्य |
|---|---|---|---|
| 7 | इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा इसकी वसूली बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। प्रथम किस्त परियोजना स्वीकृति के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त देय होगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– के दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। | इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा इसकी वसूली योजना के तहत तृतीय एवं अंतिम किस्त के भुगतान के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– के दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। | इस योजना के तहत तीनों किस्त के भुगतान में लगभग 01(एक) वर्ष से अधिक समय लगने की संभावना के कारण। |

7. इस योजना के अन्तर्गत अति पिछड़ा वर्ग हेतु रु0 102.50 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

8. आवेदन पत्रों की स्वीकृति उपलब्ध बजट सीमा के अन्तर्गत की जायेगी।

9. आबादी के अनुसार जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

10. विभाग प्राप्त आवेदन पत्रों के चयन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया एवं मापदण्ड निर्धारित करेगा तथा इस योजना के लिए आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

11. वर्तमान में बजट उपबंध नहीं है, उदव्यय प्राप्त करने एवं बजट उपबंध प्राप्त करने की कारवाई अलग से की जा रही है।

12. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

13. विभागीय संकल्प संख्या–782 दिनांक–17.05.2018 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नर्मदेश्वर लाल)
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक– 04/02/2020
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/2018
प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक– 04/02/2020
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक– 04/02/2020
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/मंत्री उद्योग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक– 04/02/2020
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पाटलीपुत्रा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक– 04/02/2020

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक– 04/02/2020

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक– 04/02/2020

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।